20 साल पुरानी समान नंबरों की समस्या का निर्वाचन आयोग ने किया समाधान

बारां, 13 मई (हाड़ौती संचार)।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को स्वच्छ और अद्यतित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लगभग 20 साल पुरानी एक जटिल समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है। यह समस्या विभिन्न निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा समान श्रेणियों का उपयोग करने के कारण उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते कुछ वास्तविक मतदाताओं को गलती से समान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नंबर जारी हो गए थे। यह त्रुटि वर्ष 2005 से चली आ रही थी। इस लम्बे समय से चली आ रही चुनौती से निपटने के लिए, देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा भारत के सभी 4123 विधानसभा क्षेत्रों ने मिलकर एक व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच अभियान चलाया। इस दौरान 10.50 लाख मतदान केंद्रों पर मौजूद 99 करोड़ से अधिक मतदाताओं के पूरे डेटाबेस की गहन पड़ताल की गई। औसतन प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 1 हजार मतदाताओं का विवरण मौजूद है। सघन जांच के परिणामों ने चौंकाने वाली बात सामने रखी। समान नंबरों की संख्या अत्यंत ही कम पाई गई। औसतन प्रत्येक चार मतदान केंद्रों में केवल एक ऐसा मामला प्रकाश में आया। फील्ड स्तर पर किए गए विस्तृत सत्यापन से यह स्पष्ट हुआ कि जिन मतदाताओं के नंबर समान थे, वे वास्तव में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों और भिन्न-भिन्न मतदान केंद्रों के वास्तविक निवासी थे। आयोग ने तत्परता दिखाते हुए ऐसे सभी मतदाताओं को अब नए नंबरों के साथ नए पहचान पत्र जारी कर दिए हैं।

इस समस्या की जड़ें वर्ष 2005 में निहित थीं, जब विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत तरीके से अलग-अलग अल्फान्यूमेरिक श्रृंखलाओं का उपयोग किया जा रहा था। वर्ष 2008 में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के पश्चात इन श्रृंखलाओं में पुनः परिवर्तन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान, कुछ विधानसभा क्षेत्रों ने या तो पुरानी श्रृंखला का उपयोग जारी रखा अथवा टाइपिंग संबंधी त्रुटियों के कारण किसी अन्य क्षेत्र को आवंटित श्रृंखला का इस्तेमाल कर लिया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मतदाता का नाम उसी मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होता है जहाँ वह सामान्य रूप से निवास करता है। इसलिए, समान नंबर होने से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान करने में सक्षम नहीं होता है। इस कारण से समान नंबर की इस समस्या का किसी भी चुनाव के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत निर्वाचन आयोग का यह प्रयास मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस 20 साल पुरानी समस्या का समाधान निश्चित रूप से मतदाता सूची को और अधिक त्रुटि-मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

भारत के 4123 विधानसभा क्षेत्र में अभियान चलाया, 10.50 लाख मतदाताओं में से 99 करोड़ मतदाओं के डेटाबेस की जांच की

20 साल पुरानी समान एक नंबरों की समस्या का समाधान, मतदाता सूची हुई स्वच्छ

न्यूज सर्विस/नवज्योति, बूंदी।

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को स्वच्छ और अद्यतन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए लगभग 20 साल पुरानी एक जटिल समस्या का समाधान किया है। यह समस्या विभिन्न निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा समान श्रेणियों का उपयोग करने के कारण उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते कुछ वास्तविक मतदाताओं को गलती से समान एक नंबर जारी हो गए थे। यह त्रुटि वर्ष 2005 से चली आ रही थी।

इस लंबे समय से लंबित समस्या के निवारण के लिए, देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा भारत के सभी 4123 विधानसभा क्षेत्रों के एक व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान, 10.50 लाख मतदान केंद्रों पर मौजूद 99 करोड़ से अधिक मतदाताओं के पूरे डेटाबेस की सघन जांच की गई। औसतन, प्रत्येक मतदान केंद्र में लगभग 1000 मतदाताओं का विवरण मौजूद है।

जांच के परिणामों ने दर्शाया कि समान एपिक नंबरों की संख्या अत्यंत कम थी। औसतन प्रत्येक चार मतदान केंद्रों में केवल एक ऐसा मामला सामने

आया। फील्ड स्तर पर किए गए सघन सत्यापन से यह स्पष्ट हुआ कि समान एक नंबर वाले मतदाता वास्तव में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों और अलग-अलग मतदान केंद्रों के वास्तविक निवासी थे। आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे सभी मतदाताओं को अब नए नंबरों के साथ नए एपिक कार्ड जारी कर दिए हैं।

इस समस्या की जड़ें वर्ष 2005 में निहित थीं, जब विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा क्षेत्रवार विभिन्न अल्फान्यूमेरिक श्रृंखलाओं का विकेंद्रीकृत तरीके से उपयोग कर रहे थे। वर्ष 2008 में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के दौरान इन श्रृंखलाओं में पुनः परिवर्तन किया गया। इस अवधि के दौरान, कुछ विधानसभा क्षेत्रों ने या तो पुरानी श्रृंखला का उपयोग जारी रखा अथवा टाइपिंग संबंधी त्रुटियों के कारण किसी अन्य क्षेत्र की आवंटित श्रृंखला का इस्तेमाल कर लिया।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक मतदाता का नाम उसी मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होता है जहां वह सामान्य रूप से निवास करता है। इसलिए, समान एक नंबर होने से किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य मतदान केंद्र पर मतदान करने की अनुमति नहीं मिलती। इस कारण से, समान एक नंबर की इस समस्या का किसी भी चुनाव के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों संग की बातचीत

न्यूज सर्विस/नवज्योति, बूंदी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने मंगलवार को निर्वाचन सदन में पार्टी अध्यक्ष कॉनराड संगमा के नेतृत्व में नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ बातचीत की। यह बैठक चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ की जा रही बातचीत की श्रृंखला का हिस्सा है।

यह बातचीत रचनात्मक चर्चाओं की एक लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करती है, जो राष्ट्रीय और राज्य पार्टी अध्यक्षों को आयोग के साथ सीधे अपने सुझाव और चिंताएं साझा करने में सक्षम बनाती हैं।

यह पहल सभी हितधारकों के साथ मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करने की आयोग की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है।

आयोग ने इससे पहले बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष मायावती ने 6 मई, 2025 को किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 8 मई, 2025 को किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव एम.ए. बेबी से 10 मई, 2025 को मुलाकात की थी। इससे पहले, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 40 बैठकों, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 800 बैठकों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा 3879 बैठकों सहित कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के 28,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।